न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 17/393

नाथ आत्मज श्री भंवर लाल जाति अहीर आयु 57 वर्ष निवासी ग्राम मानसगॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सत्यनारायण आत्मज श्री भंवर लाल जाति अहीर ।
2. बद्रीलाल आत्मज श्री भंवरलाल जाति अहीर ।
3. राधेश्याम आत्मज श्री भंवर लाल जाति अहीर निवासीगण ग्राम मानसगॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री बृजराज कुमार मंत्री, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।
3. श्री चन्द्रशेखर शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 शिविर स्थल अटल सेवा केन्द्र मानसगॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम मानसगॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1057 की रकबा 3.08 हैक्टर व खसरा नम्बर 1065 की रकबा 1.00 हैक्टर कुल रकबा 4.08 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पूर्व में वादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी तत्पश्चात् वादीगण के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त आराजी वादीगण व उनके भाई बहिन के नाम राजस्व रिकॉर्ड के खाते में दर्ज कर दी गई जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी में प्रतिवादीगण का नाम भी खातेदारी में दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 इस आशय की घोषणा पारित की जावे कि प्रतिवादी कम 1 आराजी खसरा नम्बर 1057 की रकबा 3.08 हैक्टर व खसरा नम्बर 1065 की रकबा 1.00 हैक्टर कुल

कबा 4.08 हैक्टर भूमि से प्रतिवादी कम 1 का नाम हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त आराजी को अन्य को बेचान न करे एवं वादीगण को बेदखल न करे ।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में से रघुनाथ का नाम डिलीट किया जाकर सत्यनारायण, बद्रीलाल पुत्रान भंवर लाल को 5/9 हिस्से तथा राधेश्याम पुत्र भंवर लाल को 4/9 का खातेदार घोषित करते हुए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 1 रघुनाथ ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय देते समय बिना साक्ष्य लिये निर्णय एवं डिक्री बनाने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है तथा निर्णय देते समय अधीनस्थ न्यायालय को लोक अदालत की भवना से भी इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में ही राजस्व कैम्प का निर्णय किया जा सकता है किन्तु समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए मौखिक रूप से दिनांक 11.05.2017 को निर्णय पारित कर दिया उस समय अपीलान्ट भी शिविर में मौजूद नहीं था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विरूद्ध जाकर उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी रघुनाथ के गलत रूप से खातेदारी में दर्ज की गई थी । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत वाद को अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हो परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की बिना सहमति के राजस्व लोक अदालत की भावना के विरूद्ध जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथिमक डिक्री दिनांक 01.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 29.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा